

कार्यालय रजिस्ट्रींग अथोरिटी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0), गुरुग्राम।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
हरियाणा चण्डीगढ़।

क्रमांक 3282 / एम.आर.सी.

दिनांक 03.08.2023

विषय:- नई सीरिज चालू करने बारे।

यादि

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि रजिस्ट्रींग अथोरिटी, गुरुग्राम की **HR26-FC** सीरिज समाप्त होने वाली है। सरकार के पत्र क्रमांक 10549.53 / AT-1/ST-1 दिनांक 18.02.2021 की हिदायत अनुसार चालू की जानी है। अतः वाहनों की नई सीरिज **HR26-FD** सरकार की हिदायत अनुसार दिनांक 04.08.2023 को शुरू की जानी है। यह आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

कृपः

रजिस्ट्रींग अथोरिटी एवं,
उप मण्डल अधिकारी (ना0),
गुरुग्राम।

क्रमांक

/ एम.आर.सी.

दिनांक 03.08.2023

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. उपायुक्त महोदय, गुरुग्राम।
2. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, गुरुग्राम।

रजिस्ट्रींग अथोरिटी एवं,
उप मण्डल अधिकारी (ना0),
गुरुग्राम।

कार्यालय रजिस्ट्रींग अथोरिटी एवं उप मण्डल अधिकारी (ना0), गुरुग्राम।

नोटिस

सभी जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि HR26-FC की सीरिज समाप्त होने वाली है। सरकार के पत्र क्रमांक 10549.53/AT-I/ST-I दिनांक 18.02.2021 की हिदायत अनुसार नई सीरिज HR26-FD चालू की जानी है, जो कि दिनांक 04.08.2023 को शुरू की जाएगी। जिस किसी आमजन को उक्त सीरिज में कोई भी नम्बर लेना है तो वह वाहन रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित सभी कागजात पूरे कराकर बोली में भाग लेकर नई सीरिज HR26-FD में नम्बर ले सकता है।

नोट:—नई सीरिज की बोली में भाग लेने के लिए पहले टोकन लेना होगा।
टोकन लेने का समय प्रातः 9 बजे व बोली का समय प्रातः 10 बजे किया गया है।

दिनांक— 03.08.2023

5/8!

रजिस्ट्रींग अथोरिटी एवं,
उप मण्डल अधिकारी (ना0),
गुरुग्राम।